तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/5/26	पत्रा · पेश। वादी ने दावा धारा 88, 89, 188 RT Act एवं 136 LR Rules के अंतर्गत पेश किया है। वादी का कथन है कि ग्राम सालखेड़ी तहसील रामगंजमंडी में खसरा न. 271 की 0.32 है० किस्म गै. मु. फैक्ट्री वादी के खाते दर्ज है। ग्राम सालखेड़ी में खसरा न. 270 0.08 है० प्रतिवादी 1 के खाते व खसरा न. 269 0.41 है० प्रति 4-6 के खाते दर्ज है। Settlement से पूर्व सम्पूर्ण आराजी का साबिक खसरा न. 207 दर्ज था खसरा न. मिन 207 की 2 बीघा किस्म गैर मुमकिन फैक्ट्री तथा मिन 207 की 10 बिस्वा का खातेदार वादी दर्ज था। तत्पश्चात दान पत्र से पूर्वी तरफ की ख. न. 207 की 10 बिस्वा खातेदार सन्तोषबाई पत्नि हैंसलाल दर्ज की गई तथा सन्तोषबाई के खाते एवं कब्जे की आराजी ख. न. 207 में पूर्वी तरफ की 10 बिस्वा नए ख. न. 270 की 0.08 है० प्रति 1 के खाते दर्ज की गई। मिन 207 की 2 बीघा 10 बिस्वा प्रति 1 के खाते दर्ज थी। उपखण्ड अधिकारी रामगंजमंडी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

वादी ने अपने दावे में नज़री नक्शा गत खसरा न. 207 का पेश किया है।
वादी का कथन है कि settlement के बाद वास्तविक कब्ज़े के आधार पर नए खसरा न. व खातेदार नहीं बनाए है।
उनका कथन है कि वर्तमान ख.न. 270 की 0.08 हे० में से पूर्व की तरफ 3 हे० प्रति 1, पश्चिम की तरफ 0.05 हे० पर वादी, ख.न. 271 की 0.32 में से 0.05 हे० पर प्रति 1, पश्चिम की तरफ 0.07 हे० पर वादी व दक्षिण में 0.20 हे० की तरफ प्रति 4-16 व खसरा 269 की 0.41 हे० में से 0.21 हे० पर वादी एवं 0.20 हे० पर प्रति 4-6 काबिज है।
वादी का अनुतोष है कि वास्तविक कब्ज़े के आधार पर शुद्धिकरण कर खसरा 270 की 0.08 हे० में 0.05 हे०, खसरा 269 की 0.41 हे० में से 0.21 हे० पर वादी खातेदार घोषित किया जाए एवं प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा दी जाए। प्रतिवादी 1, 2, 3 का जवाब प्राप्त हुआ। खसरा नं. 271 की 0.32 हे० में से 10 बिस्वा व खसरा न. 270 की 0.08 हे० वादी द्वारा प्रति 1 को विक्रय की जा चुकी है। इसमें प्रति. ने आवासीय भूखण्ड कायम करे है। प्रति. का कथन है कि वादी उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन प्रतिवादी क्रम 1 के हक मे नही करवाना चाहते इसलिए प्रकरण में जटिलताएं पैदा कर रहे है, प्रतिवादी 1-3 को जवाब दावे के स्थान संलग्न नक्शे के अनुसार दुरुस्त करने में कोई एतराज नही है।
	तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार से है —
	1) जमाबंदी सम्वत 2053-2056 ग्राम सातलखेड़ी का खसरा नं. मि. $\frac{187}{519}$, 207, 230 वादी के नाम दर्ज थी। खसरा न. 207 का रकबा ~~2 बीघा~~ 10 बिस्वा था। जमाबंदी सम्वत 2057-2060 ग्राम सातलखेड़ी पटवार क्षेत्र

उपखण्ड अधि... रामगंजमण्डी

	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व त... अहकाम ज... हुक्म की ... में जारी
	पीपाखेड़ी तहसील रामगंजमंडी का खसरा नं. मिन 207 रबीघा वादी के नाम दर्ज था। (exh-6) मिलान क्षेत्रफल अनुसार गत खसरा नं. 207 मिन रकबा 10 बिस्वा से वर्तमान खसरा संख्या 270 रकबा 0.08 है० दर्ज हुआ है। गत खसरा 207 मि. 2 बीघा से वर्तमान खसरा 271 0.32 है० बना है। (exh-8)	
	जमाबंदी सम्वत 2074 में खसरा 271 रकबा 0.32 है० वादी भैरूलाल के नाम दर्ज है व खसरा 270 रकबा 0.08 है० वादी की पत्नी सन्तोषबाई के नाम दर्ज है। (exh 1 & 2)	
-5)	जमाबंदी सम्वत 2057-2060 मिन 207 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा देवीलाल प्रहलाद पुत्र भवरलाल हि० 2/3 व श्यामलाल S/o यथा किशन हि. 1/3 दर्ज था। गत मि. 207 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा से वर्तमान खसरा 269 रकबा 0.41 है० बना है जो जमाबंदी 2074 में भी उन्ही के खाते दर्ज है। (exh-3)	उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	खसरा नं. 270 की आराजी का वादी द्वारा बेचान हो गया था जो वादी ने अपने दावे में स्वीकार किया है। वर्तमान में $\frac{769}{270}$ 0.06 है॰ पर खातेदार राधेश्याम पुत्र सुरेन्द्र व ख. नं. $\frac{768}{270}$ रकबा 0.02 है॰ पर चन्द्रप्रकाश चौहान पुत्र कजोडीलाल दर्ज है।
	TDR मौका रिपोर्ट अनुसार ख.स. $\frac{769}{270}$, $\frac{768}{270}$ खाली पड़ी है।
	ख.स. 269 रकबा 0.41 है॰ में से 0.16 है॰ पर पॉलिश है व शेष रकबे पर प्रहलाद पुत्र भवरलाल के पुत्रो द्वारा काश्त की जा रही है। ख.स. 271 रकबा 0.32 है॰ में से 0.12 है॰ पर पॉलिश व शेष रकबा 0.02 है॰ प्रहलाद पुत्र भवरलाल के वारिस द्वारा काश्त की जा रही है।
	सारे साक्ष्यो व तथ्यो से साबित नही हो पा रहा कि settlement मे नए खसरा न. बनाने में कोई त्रुटि की हो। नए खसरा न.

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

पुराने खसरे न. से match कर रहे है। कब्जे के आधार पर भी यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि वादी ख.न. 270 की 0.08 में से 0.05 व 269 की 0.41 में से 0.21 है० का खातेदार घोषित किया जा सके।

वादी ने स्वयं ख.न. 270 का बेचान प्रतिवादी 1 को किया है व खसरा न. 269 भी गत खसरा न. 207 रकबा 2बीघा 10 बिस्वा से बना है जो पहले से ही प्रति 4-16 के ancestors के खाते चल रहा है। मिलान क्षेत्रफल अनुसार भी यही स्पष्ट होता है।

अत: वादी तनकी 1 व 2 को स्थापित नहीं कर पाया है। क्योंकि वादी अपने खातेदारी अधिकार साबित नहीं कर पाया है, तनकी 3 व 4 भी वादी के पक्ष में नहीं दी जा सकती है।

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

हुक्म

वादी ने स्वयं अपने वाद में कहा है कि ख.न. 207 में पूर्व लगभग की 10 बिस्वा नए ख.न. 270 की 0.08 है० प्रति 1 के खाते दर्ज की गई। वादी ने कहीं अपने कथन में यह नहीं कहा कि उन्होंने प्रति 1 को उक्त भूमि का बैंचान नहीं किया। जमाबंदी नकल सम्वत 2074-2077 में ख.न. ~~768~~ 270 प्रति 1 व ख.न. 769/270 प्रति 2 के नाम दर्ज है। ऐसा कोई तथ्य वादी द्वारा पेश नहीं किया है जिससे प्रति का नाम उक्त ज़मीन से खारिज कर वादी का नाम जोड़ा जाए।

वादी ने अपनी बहस में भी कहा है कि वह सिर्फ settlement की त्रुटि सही करवाना चाहते है।

अतः सारे तथ्यों व तनकीवार निर्णय अनुसार वादी अपने दावे को सिद्ध करने में असफल रहा है। वादी का वाद स्वीकार योग्य नहीं है।

Chu...

यह
सुन
पत्रा
दाखि

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
यह निर्णय आज 22/5/26 को सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। Che उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा (राज0)	